

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंज12 अदद गोवंश पशुओं के साथ ,गोवंश की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त मय ट्रक के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं गोवंश की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 02.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज गजानन्द चौबे मयहमराह के थाना से रवाना होकर रघुपुर छावनी पर मौजूद थे कि जरिये मुखवीर सूचना मिली कि कुछ लोग परशुरामपुर बाजार से कोलमोदीपुर ग्राम को जाने वाली सड़क के किनारे ट्रक पर गोवंशीय पशुओं को लादे हैं और कुछ को लाद रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा पहले से क्षेत्र में रवाना उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव , उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद को जरिये दूरभाष सूचना से अवगत कराते हुए तत्काल आने हेतु बताया गया जो अपने हमराहियों के साथ उपस्थित आये। प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा मौजूद सभी पुलिस बल को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुंचकर देखा तो कुछ व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को लाद रहे थे पुलिस बल द्वारा ट्रक की घेरावंदी करने पर ट्रक चालक अपनी ट्रक को अचानक तेज गति से चला कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास किया जिसमें ट्रक से धक्का लगने से उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद व उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव को चोटे आ गयी। ट्रक चालक अपने को पुलिस पार्टी से घिरा पाकर कूदकर भागने में सफल रहा तथा ट्रक के रुकते ही उसमें आगे व पीछे बैठे करीब 25-26 व्यक्ति भागने में सफल रहे तथा 02 व्यक्तियों को घेर कर मौके पर ही मय ट्रक के पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम हरिहर नोना S/O कतर नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम ठाकुर नोना S/O नन्हू नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया। अभियुक्त हरिहर नोना के पास से तलाशी में एक अदद चापड बरामद हुआ तथा ट्रक के पीछे से ढाला खोल कर देखा गया तो 12 राशि गोवंशीय पशु (गाय, सांड, बछिया) बरामद हुए। जिन्हें काफी निर्दयता पूर्वक मुँह व पैर रस्सी से बांध कर ठूसकर ट्रक में लोड किया गया है जिसमें कुछ पशु घायल भी हैं। फरार अभियुक्तों का नाम पता पुछने पर उन्होंने क्रमशः 1.लालपत S/O रेंगई 2 सिद्धार्थ उर्फ मिठू S/O हरिहर नोना (3) भंडूल नोना S/O राजदेव (4) राजदेव नोना S/O स्व0 कुमार (5) मलाई नोना S/O विश्वनाथ (6) बछरू उर्फ रामसागर S/O मुन्नीलाल (7) अरविन्द नोना S/O लालचन्द्र (8) मटरू S/O लालचन्द्र (9) लालू नोना S/O लालचन्द्र (10) जितेन्द्र नोना S/O स्व0 जवाहर (11) लालचन्द्र S/O पत्तर (12) प्रभु S/O फूलचन्द्र (13) कृष्ण मोहन S/O रामसागर, ह0 का0 अंकित (14) श्रीपत S/O रेंगई निवासीगण कोलमोदीपुर PS महाराजगंज आजमगढ़ व एजाजुल S/O सिराजुल निवासी चकभकुँआ पोस्ट देवरिया बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर (16) कल्लू S/O अज्ञात सा0 बिन्दवल जयराजपुर (खरिगा) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (17) पप्पू S/O

अज्ञात सा0 नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (18) आलम S/O अज्ञात सा0 गौरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ (19) समीम S/O अज्ञात सा0 विन्दवल जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (20) रियाजुद्दीन S/O अज्ञात सा0 विन्दवल जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (21) सकील S/O अज्ञात सा0 विन्दवल जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ तथा 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात बताये। बरामदशुदा ट्रक जिसका पर नम्बर-UP50AT 0203 व चेचिस नम्बर MAT 42603190P22288 अंकित है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर कमशः 1. मु0अ0सं0- 65/2021 धारा 307, 419, 420, 467, 468, IPC व 3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2. मु0अ0सं0-66/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामद गोवंशीय पशु एवं ट्रक के सम्बन्ध में पुछने पर बताये कि हम लोगो का एक समूह है जो गोवंशीय छूट्टा, आवारा पशुओं को पकड़कर ट्रक में भरकर विहार के रास्ते बंगाल राज्य के पण्डुआ स्थान पर लेजाकर काट कर इनका मांस विक्रय करते है। विक्रय से प्राप्त पैसे की हम सभी लोग तथा ट्रक मालिक व ड्राइवर सहित आपस में बांट लेते है। यही हमारा रोजगार है। इसी से हमारा घर परिवार चलाता है तथा हम लोग ट्रक का नम्बर प्लेट बदलकर गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट बना कर लगा देते है जिससे पकड़ में ना आये यह नम्बर प्लेट भी फर्जी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. हरिहर नोना पुत्र कतर नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़
2. ठाकुर नोना पुत्र नन्हू नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 65/21 धारा 307, 419, 420, 467, 468, IPC व 3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 66/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. 12 नफर गोवंशीय पशु (गाय, सांड़, बछिया)
2. एक अदद चापड़
3. एक अदद ट्रक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे, उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, का0 रामसरन, का0 अंकित मिश्र, म0का0 मधुबाला यादव, म0का0 खुशबू सिंह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।